

निदेशक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, उ०प्र०।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
जिला पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ०प्र०।

पत्रांक:-निदे०(नियो०एवं०ब०)/कैम्प/2018/1001-03

लखनऊ: दिनांक 19.11.2018

विषय : जनहित अधिनियम के अन्तर्गत चयनित सेवाओं हेतु की जाने वाली वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनहित अधिनियम के अन्तर्गत चयनित सेवाओं की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिनांक 26.11.2018 को समय 11:30 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक की जाएगी। जिसमें समस्त मण्डलों के मण्डलीय अपर निदेशक, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा।

कृपया उक्त वीडियो कान्फ्रेन्सिंग हेतु निम्न सूचनाओं सहित स्वयं ससमय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें:-

1. पोर्टल से प्राप्त/निस्तारित किये गये आवेदनों की संख्या।
2. मैनुवल प्राप्त/निस्तारित किये गये आवेदनों की संख्या।
3. टी०ओ०टी० के माध्यम से सामु०स्वा० केन्द्रों पर दिये गये प्रशिक्षण की अद्यतन सूचना।
4. अपर निदेशक द्वारा जनहित के सम्बन्ध में की जा रही मासिक समीक्षा।
5. एस०डी०जी० गोल के विषय में चर्चा की जाएगी।

भवदीय/

महानिदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
तददिनांक,

पत्रांक-17फ/नि०नि०ब०/कैम्प/2018/1004-07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. डा० नीरज शुक्ला, विशेष सचिव, उ०प्र० शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एल०सी०, लखनऊ।
3. श्री दीवान सिंह, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, (एन०आई०सी०), प्रथम तल योजना भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ समस्त जनपदों के एन०आई०सी० रोन्टरो को सूचित करने के सम्बन्ध में।
4. एस०आई०ओ०, (एन०आई०सी०), प्रथम तल योजना भवन, लखनऊ।

निदेशक (नियोजन एवं बजट)